हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज | हुक्म की तामील

1

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
जिला झुन्झुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी – मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 70 / 2023
GCMS No. 2023 / 217

जानकी देवी पत्नी भागराम उम्र 70 वर्ष जाति जाट निवासी मान्दरी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.........प्रार्थीया

ब–ना–म

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.........अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय :: दिनांक :– 16.09.25

प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि प्रार्थीया ग्राम मान्दरी तहसील खेतड़ी की मूल निवासी है तथा प्रार्थीया के पति का नाम भागराम पुत्र मनसाराम है जो सही है। वाके ग्राम मान्दरी तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2076 लगायत 2079 के खाता सं. 90 के हाल ख.नं. 294 रकबा 0.92 है., ख.नं. 440 रकबा 0.64 है. कुल किता 2 कुल रकबा 1.56 है. तथा वाके ग्राम मान्दरी तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2076 लगा. 2079 के खाता सं. 91 के ख.नं. 723 / 441 रकबा 0.26 है. का प्रार्थीया का पति एकांकी खातेदार काश्तकार है। तथा वाके ग्राम मान्दरी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2076 लगायत 2079 के खाता सं. 118 ख.नं. 437 रकबा 0.02 है. तथा वाके ग्राम मान्दरी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2076 लगायत 2079 के खाता सं. 165 ख.नं. 106 रकबा 0.25 है., ख.नं. 110 रकबा 0.07 है., ख.नं. 111 रकबा 0.15 है., ख.नं. 112 रकबा 0.10 है., ख.नं. 114 रकबा 0.06 है., ख.नं. 115 रकबा 0.07 है., ख.नं. 116 रकबा 0.09 है., ख.नं. 117 रकबा 0.23 है., ख.नं. 118 रकबा 0.30 है., ख.नं. 119 रकबा 0.19 है., ख.नं. 120 रकबा 0.09 है., ख.नं. 121 रकबा 0.07 है., ख.नं. 122 रकबा 0.06 है., ख.नं. 126 रकबा 0.08 है., ख.नं. 127 रकबा 0.16 है., ख.नं. 128 रकबा 0.40 है., ख.नं. 71 रकबा 0.24 है., ख.नं. 72 रकबा 0.13 है., ख.नं. 73 रकबा 0.15 है., ख.नं. 75 रकबा 0.24 है., ख.नं. 77 रकबा 0.12 है., ख.नं. 78 रकबा 0.13 है., ख.नं. 79 रकबा 0.12 है., ख.नं. 80 रकबा 0.11 है., ख.नं. 81 रकबा 0.09 है., ख.नं. 82 रकबा 0.09 है., ख.नं. 83 रकबा 0.08 है., ख.नं. 84 रकबा 0.11 है., ख.नं. 87 रकबा 0.12 है., ख.नं. 88 रकबा 0.20 है., ख.नं. 89 रकबा 0.13 है., ख.नं. 89 रकबा 0.13 है., ख.नं. [illegible] रकबा 0.13 है., ख.नं. 91 रकबा 0.15 है., ख.नं. 92 रकबा 0.14 है., ख.नं. [illegible] रकबा 0.14 है. कुल किता 35 कुल रकबा 4.99 है. का प्रार्थीया का पति संयुक्त खातेदार काश्तकार [illegible] रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया के पति व ससुर का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थीया को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि प्रार्थीया के पति की मृत्यु के [illegible] प्रार्थीया व उसके बच्चों (वारिशान) के नाम से विरासतन नामांतरकरण दर्ज नहीं हो रहा है जिससे

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2025.09.26 11:12:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

सरकार से मिलने वाले लाभ भी प्राप्त नहीं हो रहे हैं। इसलिए प्रार्थीया को उक्त खातेदारी भूमि में अपने पति व ससुर का नाम दुरुस्त करवाने बाबत यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम मान्दरी तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2076 लगायत 2079 के खाता सं. 90 के हाल ख.नं. 294 रकबा 0.92 है., ख.नं. 440 रकबा 0.64 है. कुल किता 2 कुल रकबा 1.56 है. तथा वाके ग्राम मान्दरी तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2076 लगा. 2079 के खाता सं. 91 के ख.नं. 723/441 रकबा 0.26 है. का प्रार्थीया का पति एकांकी खातेदार काश्तकार है। तथा वाके ग्राम मान्दरी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2076 लगायत 2079 के खाता सं. 118 ख.नं. 437 रकबा 0.02 है. में प्रार्थीया के पति का नाम भागराम पुत्र प्रसादाराम के स्थान पर भागराम पुत्र मनसाराम दर्ज किया जावे।

तथा वाके ग्राम मान्दरी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2076 लगायत 2079 के खाता सं. 165 ख.नं. 106 रकबा 0.25 है., ख.नं. 110 रकबा 0.07 है., ख.नं. 111 रकबा 0.15 है., ख.नं. 112 रकबा 0.10 है., ख.नं. 114 रकबा 0.06 है., ख.नं. 115 रकबा 0.07 है., ख.नं. 116 रकबा 0.09 है., ख.नं. 117 रकबा 0.23 है., ख.नं. 118 रकबा 0.30 है., ख.नं. 119 रकबा 0.19 है., ख.नं. 120 रकबा 0.09 है., ख.नं. 121 रकबा 0.07 है., ख.नं. 122 रकबा 0.06 है., ख.नं. 126 रकबा 0.08 है., ख.नं. 127 रकबा 0.16 है., ख.नं. 128 रकबा 0.40 है., ख.नं. 71 रकबा 0.24 है., ख.नं. 72 रकबा 0.13 है., ख.नं. 73 रकबा 0.15 है., ख.नं. 75 रकबा 0.24 है., ख.नं. 77 रकबा 0.12 है., ख.नं. 78 रकबा 0.13 है., ख.नं. 79 रकबा 0.12 है., ख.नं. 80 रकबा 0.11 है., ख.नं. 81 रकबा 0.09 है., ख.नं. 82 रकबा 0.09 है., ख.नं. 83 रकबा 0.08 है., ख.नं. 84 रकबा 0.11 है., ख.नं. 87 रकबा 0.12 है., ख.नं. 88 रकबा 0.20 है., ख.नं. 89 रकबा 0.13 है., ख.नं. 89 रकबा 0.13 है., ख.नं. 90 रकबा 0.13 है., ख.नं. 91 रकबा 0.15 है., ख.नं. 92 रकबा 0.14 है., ख.नं. 93 रकबा 0.14 है. कुल किता 35 कुल रकबा 4.99 है. में प्रार्थीया के पति का नाम भगवाना पुत्र प्रसादा के स्थान पर सही नाम भागराम पुत्र मनसाराम दर्ज किया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी राज्य सरकार की ओर तहसीलदार, खेतड़ी ने जरिये पत्र क्रमांकः भू.अ./2024/2472 दिनांक 16.07.2024 से बिन्दुवार रिपोर्ट भिजवाई है तथा पटवारी पटवार मण्डल मान्दरी की बिन्दुवार मूल रिपोर्ट भी संलग्न कर भिजवाई है जो बाद शामिल पत्रावली की गई।

प्रार्थीया की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबन्दी संवत् 2076–79 खाता सं. 90, खाता संख्या 91, खाता सं. 118 व खाता संख्या 165 ग्राम मान्दरी, फोटो प्रति आधार कार्ड भागराम, फोटो प्रति आयकर विभाग के पैन कार्ड की प्रति, फोटो प्रति भूतपूर्व सैनिको का पहचान पत्र, फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र भागराम पेश किये गये।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता प्रार्थीया सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं पटवारी हल्का [illegible]पूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार, खेतड़ी व पटवारी हल्का मान्दरी ने [illegible]दुवार रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित किया है कि उपरोक्त प्रविष्टि राजस्व रिकार्ड में [illegible]के बाद जरिये विरासत नामांतरकरण से दर्ज होने के [illegible] एल.आर. एक्ट की धारा–136 के [illegible] प्रार्थीया द्वारा चाहे गये अनुतोष की अन्तर्गत नहीं आता है। अर्थात् उक्त [illegible] दर्ज हुई है, लिपिकीय त्रुटि नहीं प्रविष्टियां विरासतन नामांतरकरण से राजस्व रिकार्ड में [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2025.09.26 11:12:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के मुताबिक प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अस्वीकार योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से अस्वीकार कर अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.09.25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनू

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2025.09.26 11:12:07 IST
Reason: SelfAttested